

# ELECT TO END ATROCITIES

A Civil Society Initiative



April 2009

**Learn to live in this world with self-respect. You should always cherish some ambition of doing something in this world. But remember that the age of selflessness has ended. A new epoch is set in. All things are now possible because of your being able to participate in the politics and legislature of your country.**

**- Dr. B.R. Ambedkar**

## **PREFACE**

### **“ELECT TO END ATROCITIES”**

In India, every day 27 atrocities, 13 murder, 5 home or possession burning, 6 kidnap/abduction, 3 rape, 11 beating cases take place against dalits. In every 18 minutes a crime take place against the dalits.

This is not only a crime against a faceless, powerless and defenseless dalit, but a crime against the community, nation and humanity. Sixty years ago the great visionary Dr. Ambedkar could foresee that caste would be a major determinant in social, political and economic status of an individual. Therefore, as the Law Minister and chief architect of the Constitution, he laid down provisions seeking to contain untouchability and discrimination and those facilitating social engineering. Finding it unable to overwhelm the prejudices against the caste, specific provisions on prohibiting physical violence and atrocity were passed in the form of SC/ST (Prevention of Atrocity) Act, 1989 (and Rules 1995 therefor). However, the Act has failed to curb the mentality which perpetuates discrimination and violence. Rather it would be more appropriate to say that governments after government have failed to implement the Act in the letter and spirit. The crimes against dalits have been on the rise in most of the states and Union territories. The penchant to show the crimes against dalits decreasing has made the filing of a case under the Act itself almost impossible. The proponents of the theory of abuse of the Act have been crying hoarse, and some have even gone to the extent of proposing repealing the Act itself. The state, administration, the police, the judiciary all must share the blame for failing dalits in the country. Thousands of victims of atrocities are languishing for decades in the hope of getting justice one day.

Now with the general election around let us come together to elect only those who offer complete safety and security to dalits. All atrocities must stop now. The safety and security of more than 240 million people in this country, their dignity, survival and well being is the most important issue. Dalits demand that the forthcoming governments must promise and show manifest commitments towards bringing about appropriate amendments in the SC/ST Act, ensure social and economic provisions to a sustained campaign against atrocity, and respect global commitments towards ending discrimination against dalits including reconsideration of govt of India's position on the Durban Declaration and Programme of Action.

The National Consultation (20th -21st March 2009, Delhi) on the SC/ST Prevention of Atrocity Act explicitly reflected this feeling. Dalit activists from more than 15 states of India vowed to elect those who can end atrocity. Let us join in this effort. Let us educate everybody who lies in the scepter of violence, atrocity and discrimination, to elect a party, a candidate who not only promises but also manifestly believes that there can be no compromise on the safety and personal security. Let all of us believe that only parties and candidates who can broaden their horizon to see that this issue would be a major determinant of India's role in global political order, would lead us to a better tomorrow.

Let us elect to end atrocity. Let us take a pledge towards that.

For and on behalf of millions of struggles for dignity and against atrocity

Ajay K Jha

# SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989

## Offence Punishable by Life Imprisonment + Fine

Section	Offence	Fine
3 (2) (i)	Deliberately giving false evidence in cases against a SC/ST which could result in the SC/ST being convicted of a capital offence (if giving false evidence results in SC/ST being executed, the offence is punishable by death)	Rs. 1 lakh of full compensation, whichever is greater. 50% paid on charge sheet and 50% on conviction in Trial Court.
3 (2) (iv)	Deliberately damaging or attempting to damage with fire and explosives a place of worship or place of residence of a SC/ST, or a place used by a SC/ST for storage of property in his custody (such as a godown)	At least Rs. 50,000/-
3 (2) (v)	Commits any offence under IPC (45 of 1860) punishable with imprisonment for 10 years or more against a person or property.	

## Offence Punishable by 6 months to 7 years or more + Fine

3 (2) (ii)	Deliberately giving false evidence in cases against a SC/ST which could result in the SC/ST being convicted of an offence which is not capital	Rs. 1 lakh or full compensation, whichever is greater. 50% paid on charge sheet and 50% on conviction in Trial Court
3 (2) (iii)	Deliberately damaging or attempting to damage with fire and explosives any property (other than house or temple or godown) of a SC/ST	At least Rs. 50,000/-
3 (2) (vi)	Intentionally removing evidence in a case or giving false information	
3 (2) (vii)	Public servant committing an offence (minimum term of punishment will be one year)	Full compensation. 50% paid on charge sheet and 50% on conviction by Trial Court
4	Public servant (not SC/ST) willfully neglecting his duties under the Act (maximum term of punishment will be one year)	
8	A person giving financial help or being part of a group committing an offence	

## Offence Punishable by 6 months to 5 years or more + Fine

3 (1) (i)	Forcing a SC/ST to eat or drink any inedible or obnoxious substance	Rs. 25,000/- or more to each victim; 25% paid on charge sheet and 75% on conviction by Trial Court
3 (1) (ii)	Dumping excreta, waste, carcasses or obnoxious substance in premises or neighbourhood	
3 (1) (iii)	Removing clothes, parading naked or with painted face or body; any other similar derogatory act to human dignity	
3 (1) (iv) & 3 (1) (v)	Wrongfully occupying or cultivating, or dispossessing (by getting land transferred) a SC/ST from, any land owned by, or allotted to, him or her, or interfering with the enjoyment of his rights over any land, premises or water	Rs. 25,000/- or more to each victim and restoration of land/house/water-supply; full payment when charge sheet filed
3 (1) (vi)	Forced or bonded labour ('beggar')	Rs. 25,000/- or more to each victim; 25% paid at FIR stage and 75% on conviction in Trial Court
3 (1) (vii)	Forcing SC/STs to vote or not to vote for a candidate	Upto Rs. 20,000/- to each victim
3 (1) (viii)	Filing false, malicious or vexatious cases against a SC/ST	Rs. 25,000/- or actual expenses and compensation, whichever is less. Full amount
3 (1) (ix)	Giving false information to Government against a SC/ST, resulting in injury or annoyance to him	
3 (1) (x)	Insulting, intimidating or humiliating a SC/ST in public	Upto Rs. 25,000/-. 25% paid on charge sheet and 75% on conviction by Trial Court
3 (1) (xi)	Assaulting, dishonouring, outraging the modesty of a SC/ST woman	Rs. 50,000/- to each victim. 50% paid after medical examination and 50% after trial
3 (1) (xii)	Sexual exploitation of SC/ST woman	
3 (1) (xiii)	Spoiling a water source used by SC/STs	Upto Rs. 1 lakh or full cost of restoration. Payment at any stage as deemed fit by District Administration
3 (1) (xiv)	Obstructing access of a SC/ST to a public place	Upto Rs. 1 lakh or full cost of restoration of access right and full compensation of any loss suffered. 50% paid on charge sheet and 50% on conviction in Trial Court
3 (1) (xv)	Forcing a SC/ST to leave his house, village	Restoration of site/right to stay. Rs. 25,000/- to each victim and house reconstruction at Government expense if house is destroyed. 100% paid on charge sheet.

## EXPERIENCES: IMPLEMENTATION OF THE ACT

In the recent times when we are preparing for the formation of the 15th Loksabha of the Indian Democracy, it becomes very important that we seriously think about the conditions of the community who is still deprived of the mainstreams of democracy - Judiciary, Right to Equality, Right to Live with Dignity. During last 60 years of Independence we have made some progress in providing right to equality to our citizens. But still in the case of SC/ST population, their right to live with dignity and equality is an issue of grave concern. The feudalistic tendency of the exploitation and oppression is still prevalent. After the enactment of legislations like SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989, they have no doubt, become 'equal' on papers but in reality a dalit is that segment of the society who is still compelled to build their lives in the periphery of the village. Religious fundamentalism still prevent them from entering into the temples, they are forced to undertake manual scavenging in large numbers of urban and rural areas, they are compelled to work as bounded labour in agriculture and other sectors and are most vulnerable towards exploitation, oppression, insult, atrocity etc. The following data of the crime against dalits clearly shows their status:

Cases registered in 2005-2007 (NCRB Report)

State	Schedule Caste			Schedule Tribe			Total Atrocities		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Andhra Pradesh	3117	3891	3383	515	793	753	3632	4684	4136
Bihar	1824	7043	2786	82	56	65	1906	7099	2851
Chhattisgarh	454	444	511	497	583	615	951	1027	1126
Jharkhand	277	333	538	483	332	268	760	665	806
Karnataka	1780	1730	1844	161	214	205	1941	1944	2049
Madhya Pradesh	4356	4214	4106	1613	1498	1501	5969	5712	5607
Maharashtra	865	1053	1166	224	267	239	1089	1320	1405
Rajasthan	3795	3910	1474	863	967	1110	4658	4877	2584
Uttar Pradesh	4397	4960	6144	06	11	04	4403	4971	6148
Tamilnadu	126	991	1743	13	24	17	139	1015	1760

The report also shows that every day 27 atrocities, 13 murder, 5 home or possession burning, 6 kidnap/abduction, 3 rape, 11 beating cases take place against dalits. The report also highlights that in every 18 minutes there is one crime against the dalits. In the year 2007, there are 30,031 and 5,532 registered cases of atrocities against SC and ST respectively.

In order to prevent this atrocity against the SC/ST population in the society, the SC/ST (Prevention of Atrocity) Act, 1989 has been enacted. Section 3 of the Act describes the crimes against members of SC/ST community and it also talks about the punishment. However, in the context of the above data, it becomes very significant to analyse the implementation of the Act according to its provisions. When we look into the status of the Act at the level of implementation and the reasons due to which the dalit population is not being able to take the benefit of the Act, we find the following facts:

### At the level of FIR:

- Police avoids lodging FIR
- Influence of dominant castes on police administration
- Non-cooperation of local police/constabulary
- Derogatory behavior in local police stations
- Political interference

- Not using the proper sub-sections of the IPC and SC/ST Act in the FIR according to section 6 of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989
- Changing the names of the offenders
- In the cross cases, police pressurize the victim for compromise.
- Anti Dalit attitude and mind set

#### **At the level of Investigation:**

Section 17 of the Act provides that investigation would be conducted by an officer not below the rank of Dy. S.P. However, the majority of investigations are conducted by officer below the rank of Dy.S.P. because almost all the states do not have adequate number of Dy. S.Ps. The flagrant violation of the Act is committed the investigations are done by officials below the rank of Dy.S.P. as they lack the sensitivity and understanding of the Act and social and political aspects of the crime committed against the dalits. Preconceived notions, influenced by opinion leaders and dominant castes also affects the quality of investigation. As a result there is invariably a delay in filling charge sheets and when it is filed it suffers from a number of inadequacies resulting in acquittal of the convict.

#### **At the level of Trial:**

- Non-existence of special courts
- More than 75% of cases result in acquittal
- More than 70% of cases have been pending for over a decade
- Section 14 lays down provision for special courts, but these courts do not have the mandate to take cognizance of the cases directly, untill and unless the cases are committed by magistrates
- The Act or the rules are ambiguous about whether special courts have original jurisdiction or whether they are only courts of committal
- Lack of knowledge among the Advocates, Police and judicial officers about the exact provisions of the Act.
- The appointment of special public prosecutor envisaged in section 15 has not been done in number of states.
- Gross negligence an insensivity of court staff in recording statements of the victims and overlooking critical facts
- In majority of cases the charges are framed under milder laws viz. Civil Rights Protection Act or the Indian Penal Code (IPC) rather than the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act.
- Other Issues:
- Atrocities like social boycott, economic exploitation, Cast based discrimination etc. are ever hardly booked under the Act
- Section 21 lays down provisions for travel allowance for the victim to attend judicial process and social and economic rehabilitation. State governments are always found wanting in providing either travel allowance or support for social and economic rehabilitation to the victim and their families.
- Deliberate attempts of oversight of crimes falling under the Act and officials refusing to register cases under the Act section 4 of the Act provides a punishment extending from 6 months to a year for such willful negligence

In the circumstances it becomes very obvious that the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 is very poorly implemented. Social pressure and lack of adequate infrastructure make the situation even worse.

# **National Consultation on SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989**

## **“Elect to end Atrocities”**

A Civil Society Initiative

A National Consultation on SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 was organized in New Delhi on 20-21 March 2009. Representatives of various Dalit organizations from different states of India, bureaucrats, retired officials, advocates, peoples representative and various media personalities participated in this two day consultation. Representatives from various states highlighted the present status of the implementation of the Act and challenges faced by Dalits. Apart from this a number of dalit victims from different states also shared their experiences. Participants discussed the experiences of working of the Act in detail and recommended necessary amendments/possibilities for the strengthening of the Act.

### **Some reflections on the working of the Act:**

#### **Mr. P.S. Krishnan (Ex-secretary, Ministry of Welfare and author of the Act):**

Political leadership has failed dalits and the SC/ST (POA) Act. The purpose of the Act has been defeated by its lackadaisical implementation. Justice delayed is justice denied and the dalit activists should focus on asking for amendments which would ensure expeditious trials of the cases under the Act. Dalit organizations all over the country should make atrocities on dalits an electoral issue.

#### **Mr. K. B. Saxena (Ex-member, Planning Commission):**

In most of the state the implementation of the Act has been very poor and dalits need to take commitments from political parties in the fray for proper implementation of the Act, and ensure that the commitments are complied to when these parties form the government.

#### **Ms. Satya Bahen (Member, National Commission for Schedule Caste):**

The NCSC has given recommendations for proper implementation and amendments in the Act a number of times, but successive governments have failed to take notice of this and as a result millions of dalits are facing untouchability and atrocity without sufficient recourse to the law.

#### **Ms. Yasmeen Abrar (Member, National Commission for Women):**

Dalit women suffer multiple discrimination and atrocity, and do not get adequate relief despite existence of laws like SC/ST (POA) Act, 1989.

#### **Mr. Tsering Samphel (Member, National Commission for Scheduled Tribe):**

There is a complete of awareness among the tribal population to seek the help of the Act and the Commission, which results in very few cases registered in the commission.

#### **Mr. Swami Agnivesh (Ex. Member of Parliament, President, Bandhua Mazdoor Mukti Sanghathan):**

The practice of caste based identity has become the destiny of dalits. This destiny and its manifestation have deprived more than 80 % of the Indian population from their constitutional rights. The same has also influenced the implementation of the SC/ST (POA) Act, 1989 resulting in its bad implementation.

#### **Mr. Sanjay Paswan (Ex-Union Minister):**

The Dalit politics in India is still in its first phase viz. phase of petitioning. While the politics on other issues are in their advanced stage and have moved to the phase of claiming. Dalit politics need to be more assertive.

#### **Mr. Sanjay Parikh (Senior Advocate, Supreme Court):**

The implementation of SC/ST (POA) Act, 1989 in entire country is far from satisfaction. If central and state governments do not take proper action to strengthen its implementation, then we have all the rights to take legal recourse.

#### **Mr. Bharat Dogra (Senior Journalist):**

There is a lack of information about the SC/ST (POA) Act, 1989 in the rural areas, for which there is a need to take collective efforts. There is also a need, at Panchayat level, to form a group of activists from dalit and other communities who are conscious of their rights and can monitor the implementation process.

## **Recommendations for improved implementation and amendment in the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and Rules 1995**

The Consultation demanded that the following amendments/modification be brought in the Act and the Rules immediately:

- The ban put by the Supreme Court's decision in the Gangula Ashok Vs. State of Andhra Pradesh, which prevents special courts from taking cognizance of cases, unless committed by magistrates should be reviewed by an appropriate amendment specifying special courts as courts of original jurisdiction with respect to cases under the SC/ST Act.
- Section 4 should be amended to include "refusal to file FIR" and "Charges framed under inappropriate sections of the Act" the punishment should also be made stringent enough to create a deterrent in willful negligence by public authorities/police officers.
- The variations in implementation of the Act in different states should be removed immediately and all the states should have uniform application and implementation of the Act. The states where the cases under SC/ST Act are not being filed should be compelled to follow the national legislation.
- In respect of the spirit of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act special and exclusive courts to try cases of SC/ST Act should be created immediately.
- Special public prosecutors should be appointed in all the states.
- Legal aid is a constitutional right and it should be made available to the victims in all circumstances. Special measures for ensuring travel allowance to the victims and social and economic rehabilitation of victims and their families should be ensured. Besides, expenses for education to children and livelihood opportunities should also be made available to the victims and their families.
- The monitoring and vigilance committees at state and district level should be made effective with the task of regular/periodic review. SC/ST development corporations at national and state level to look into the social and economic aspects should also be created as soon as possible.
- The review of working of the Act should be taken up immediately in all the states. Its periodic review in future should also be ensured.
- All cases pending should be disposed off in a time bound manner. All cases registered in future in the Act should be disposed off expeditiously within a predetermined time frame.
- The adequacy of infrastructure should be ensured in a time bound manner, the priority should be given to more atrocity prone states.
- Previous recommendations by the NCSC, NCST and NHRC should be considered and brought into effect.

Participants of the  
**National Consultation on SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989**  
**“Elect to end Atrocities”**

• Adivasi Adhikar Manch	Madhya Pradesh
• Alliance for Dalit Rights	Maharashtra
• Ambedkar Mahasabha	Uttar Pradesh
• CECOEDECON	Rajasthan
• Centre for Dalit Rights	Rajasthan
• Centre for Dalit Human Rights	Rajasthan
• Dalit Adhikar Manch	Jharkhand
• Dalit Dasta Virodhi Andolan	Punjab
• Dalit Kashta Nivaran Samiti	Haryana
• Development Initiative	Orissa
• Institute for Dalit Rights	Kerala
• JANSAHAS	Madhya Pradesh
• Lok Vikas Sansthan	Bihar
• Mazdoor Kisaan Samiti	Jharkhand
• National Conference of Dalit Organizations	New Delhi
• NIDAN	Bihar
• PAIRVI	New Delhi
• Prayas Gramin Vikas Samiti	Uttar Pradesh
• Safai Karmchari Andolan	Punjab
• Sahariya Mukti Morcha	Madhya Pradesh
• Uttaranchal Development Institute	Uttarakhand
• VIKALP	Orissa
• VIZTHUGAL	Tamilnadu

इस दुनिया में आत्मसम्मान के साथ जीना सीखो ।  
इस दुनिया में कुछ करने की अभिलाषा को सदैव हृदय में  
बनाए रखना चाहिए । पर ध्यान रहे कि निःस्वार्थता का  
काल समाप्त हो चुका है । एक नये युग की शुरुआत हो  
चुकी है । अब सब कुछ संभव है क्योंकि आप देश की  
राजनीति और विधायिका में भाग ले पाने में समर्थ हैं ।

- डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

## प्राक्कथन

### “चुनें अत्याचार समाप्ति की प्रतिबद्धता”

सारे देश में दलितों के साथ प्रतिदिन 27 अत्याचार, 13 हत्या, 5 गृहदाह, 6 अपहरण, 3 बलात्कार व 11 मारपीट की घटनाएँ होती हैं और प्रत्येक 18 मिनट में दलितों के विरुद्ध एक अपराध होता है। यह एक पहचानविहीन, सामर्थ्यहीन और असुरक्षित दलित के विरुद्ध अपराध नहीं है बल्कि एक पूरे समुदाय के विरुद्ध अपराध है। 60 वर्ष पहले ही डॉ. अम्बेडकर ने आगामी समय को देखते हुए कहा था कि एक व्यक्ति के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्तर को निर्धारित करने में जाति एक बड़ा कारक होगी। फलतः विधि मंत्री और संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में उन्होंने अस्पृश्यता (छुआछूत) और भेदभाव व सामाजिक व्यवस्था में इन्हें सहयोग करने वाले क्रियाकलापों को रोकने के लिए प्रावधानों का निर्माण किया। यह पाया जाने पर कि जाति के विरुद्ध पूर्वाग्रहों को मिटाने में यह प्रावधान असमर्थ रहे हैं, शारीरिक हिंसा और अत्याचारों पर प्रतिबंध के लिए विशेष प्रावधान अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 और उसके बाद अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के रूप में पारित किये गए। तथापि यह अधिनियम उस मानसिकता को प्रतिबंधित करने में असफल रहा है जो भेदभाव और हिंसा को स्थिर बनाए रखती है। यह कहना अधिक उचित होगा कि एक के बाद एक सभी सरकारें अधिनियम को इसके मूल स्वरूप और भावार्थ के अनुरूप क्रियान्वित करने में असफल रही हैं। अधिकांश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में दलितों के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि हुई है। दलितों के विरुद्ध अपराध के ग्राफ को प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ने भी इस अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकरण के दर्ज होने को लगभग असंभव बनाया है। इस अधिनियम के दुरुपयोग की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले गला फाड़ कर चीख रहे हैं और उनमें से कुछ तो इस अधिनियम को निरस्त किये जाने के प्रस्ताव की हद तक चले गए हैं। राज्य, प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका सभी को देश में दलितों की दुर्दशा के आरोप को सम्मिलित रूप से स्वीकार करना चाहिए।

वर्तमान में जबकि हमारे चारों ओर चुनाव का माहौल है हमें एक-साथ मिलकर उनका चुनाव करना चाहिए जो दलितों की पूर्णतः भयमुक्ति और सुरक्षा का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। सारे अत्याचार अब बंद होने चाहिए। इस देश में 4 करोड़ से अधिक लोगों की सुरक्षा, उनका गौरव और बेहतर जीवन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दलितों की मांग है कि आगामी सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम में उचित संशोधनों के लिए अपना स्पष्ट मत प्रस्तुत करे और अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करे, और दलितों के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति की वैश्विक वचनबद्धता का सम्मान करे जिसमें कि डरबन घोषणा और कार्य के कार्यक्रम में भारतीय सरकार के स्थान पर पुनर्विचार भी सम्मिलित हो।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम पर 20-21 मार्च 2009 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श में यह भावना स्पष्टतया परिलक्षित हुई। भारत के 15 से अधिक राज्यों से आये दलित कार्यकर्ताओं ने उन्हें चुनने का संकल्प लिया जो अत्याचार को समाप्त कर सकते हैं। आइये हम भी इस प्रयास में शामिल हों और हिंसा, अत्याचार और भेदभाव के प्रभुत्व में जकड़े प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसे दल, ऐसे प्रत्याशी को चुनने के लिए जागरूक करें जो न केवल वचन दे बल्कि स्पष्ट: यह मानता भी हो कि दलितों की व्यक्तिगत व मानसिक सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हमें उन दलों और प्रत्याशियों का चुनाव करना चाहिए जो वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय लोकतंत्र की भूमिका को सुदृढ़ करने में इस मुद्दे को एक बड़े और महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखते हों और अपने कार्यक्षेत्र/विचारशीलता को इस स्तर तक वृहद् कर सकते हों।

आइये हम अत्याचार समाप्ति के लिए चुनाव करें। इसके लिए शपथ लें।

अत्याचार के खिलाफ और गौरवपूर्ण जीवन के लिए लाखों के संघर्ष की ओर से इस संघर्ष के लिए

अजय कुमार झा

# अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989

ऐसे अपराध जिनमें आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान है

धारा	अपराध	जुर्माना / मुआवजा
धारा 3 (2) 1	अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में जानबूझकर झूठी गवाही देना ताकि उस व्यक्ति को सजा मिल जाए। (यदि ऐसी झूठी गवाही से किसी को मृत्युदण्ड मिलता है तो अपराध की सजा भी मृत्युदण्ड होगी।)	100000 रु. अथवा नुकसान की पूरी भरपाई जो भी अधिक हो। 50 प्रतिशत का भुगतान न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किये जाने के बाद और 50 प्रतिशत न्यायालय द्वारा सजा सुनाने पर।
धारा 3 (2) 4	सदस्यों के निवास या सामान रखन के स्थान को आग या विस्फोटक सामग्री द्वारा नुकसान पहुँचाना। (भारतीय दण्ड संहिता (1860 की 45) के तहत ऐसे अपराध के लिए जो किसी व्यक्ति या उसकी जायदाद के खिलाफ किया गया हो 10 साल या उससे अधिक कारावास का प्रावधान है।)	कम से कम 50,000 रुपये तक

ऐसे अपराध जिनमें 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है

धारा 3 (2) 1 व 2	अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में जानबूझकर ऐसी झूठी गवाहियाँ देना जिससे अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को सजा मिल जाए।	100000 रु. अथवा नुकसान की पूरी भरपाई जो भी अधिक हो। 50 प्रतिशत का भुगतान न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किये जाने के बाद और 50 प्रतिशत न्यायालय द्वारा सजा सुनाने पर।
धारा 3 (2) 3	संपत्ति को जो मंदिर या सामान रखने के अतिरिक्त हो, किसी विस्फोटक सामग्री द्वारा जानबूझकर नुकसान पहुँचाना या ऐसा करने का प्रयास करना।	कम से कम 50000 रुपये तक
धारा 3 (2) 6	जानबूझकर सबूतों को नष्ट करना अथवा किसी मामले में गलत सूचना देना।	
धारा 3 (2) 7	लोकसेवक द्वारा उत्पीड़ित करना (कम से कम 1 वर्ष की सजा)	नुकसान की शतप्रतिशत भरपाई। 50 प्रतिशत का भुगतान न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किये जाने के बाद और 50 प्रतिशत न्यायालय द्वारा सजा सुनाने पर
4	ऐसे लोकसेवक जो अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते (अधिक से अधिक 1 वर्ष की सजा)	
8	ऐसा व्यक्ति जो अपराध करने के लिए धन देता है या ऐसे समूह का सदस्य है जो अपराध करता है	

ऐसे अपराध जिनमें 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है

धारा 3 (1) 1	अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ पीने या खाने के लिए बाध्य करना	प्रत्येक पीड़ित को 25000 रुपये। 25 प्रतिशत न्यायालय को आरोप-पत्र भेजने के समय और 75 प्रतिशत विचारण न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने के समय
धारा 3 (1) 2	किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मलमूत्र, कूड़ा-करकट, पशुशव अथवा किसी अन्य घृणात्मक पदार्थ को इकट्ठा करके उसे क्षति पहुँचाने, अपमानित अथवा परेशान करने की दृष्टि से कार्य करना	
धारा 3 (1) 3	किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारना, उसे नंगा करके उसके चेहरे या शरीर के किसी हिस्से को पोतकर घुमाना या मानव की गरिमा के विरुद्ध ऐसा ही कोई अन्य कार्य करना	
धारा 3 (1) 4	किसी सदस्य के स्वामित्व में या आबंटित अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आबंटित भूमि पर कब्जा करना या उसकी आबंटित भूमि को अपने अधिकार में लेकर उस पर खेती करना।	प्रत्येक पीड़ित को 25000 रुपये या अधिका इसके साथ भूमि, मकान और जलापूर्ति की पुनः उपलब्धि। चार्जशीट प्रस्तुत होने के समय पूरा भुगतान
धारा 3 (1) 5	अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से सस्य बेकब्जा करना या भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करना	
धारा 3 (1) 6	किसी को बेगार, बलात श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करना	प्रत्येक पीड़ित को 25000 रुपये तक। इस राशि का 25 प्रतिशत एफ.आई.आर. करने के समय और 75 प्रतिशत विचारण न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये और सजा सुनाए जाने के समय
धारा 3 (1) 7	किसी सदस्य को मताधिकार का प्रयोग करने से रोकना अथवा किसी के पक्ष में जबरन मतदान करने के लिए मजबूर करना	प्रत्येक पीड़ित को 20000 रुपये तक
धारा 3 (1) 8	किसी के साथ झूठी, द्वेषपूर्ण, तंग करने वाली कानूनी कार्यवाही करना	25000 रुपये तक या वास्तविक खर्चा अथवा मुआवजा जो भी कम हो। न्यायालय द्वारा सजा सुनाने पर पूरा भुगतान
धारा 3 (1) 9	सरकारी तंत्र को ऐसी सूचना देना जिससे सदस्यों को आर्थिक नुकसान अथवा मानसिक पीड़ा भुगतानी पड़े	
धारा 3 (1) 10	किसी सदस्य को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, दुःखी करना या नीचा दिखाना	25000 रु. तक। इस राशि का 25 प्रतिशत चार्ज शीट दाखिल करने के समय और 75 प्रतिशत न्यायालय द्वारा सजा सुनाने पर
धारा 3 (1) 11	किसी महिला का अनादर करने, लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करना	प्रत्येक पीड़ित को 50000 रुपये तक। इस राशि का 50 प्रतिशत चिकित्सकीय जांच के बाद और 50 प्रतिशत मुकदमा पूरा होने के बाद
धारा 3 (1) 12	किसी महिला का शील भंग करना अथवा यौन शोषण करना	
धारा 3 (1) 13	अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले जल को प्रदूषित करना	100000 रु. तक अथवा पुनर्निर्माण की पूरी कीमत अथवा जिला प्रशासन द्वारा तय की गई राशि का भुगतान
धारा 3 (1) 14	सदस्यों को किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश न करने देने के इरादे से रास्ता रोकना	100000 रु. तक टावा अधिकार प्राप्त करने की पूरी कीमत अथवा किये गए नुकसान का पूरा मुआवजा। इस राशि का 50 प्रतिशत का भुगतान चार्जशीट दाखिल करने के समय और 50 प्रतिशत का भुगतान न्यायालय द्वारा सजा सुनाने के बाद
धारा 3 (1) 15	सदस्यों को उनका निवास स्थान या शहर या गांव छोड़ने के लिए मजबूर करना	स्थान/रिहाइश के अधिकार का प्रत्यावर्तन। यदि घर नष्ट हो गया है तो सरकारी खर्चे पर घर का निर्माण, प्रत्येक पीड़ित को 25000 रु. का मुआवजा। चार्जशीट दाखिल करने पर पूरा भुगतान

## अनुभव : अधिनियम का क्रियान्वयन

वर्तमान समय में जबकि हम भारतीय लोकतंत्र की 15वीं लोकसभा के गठन की तैयारी कर रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उस समुदाय की स्थितियों के बारे में गंभीरता से विचार किया जाए जो कि लोकतंत्र की प्रमुख धाराओं - न्यायपालिका, बराबरी के अधिकार, गौरवपूर्ण जीवन के अधिकार आदि से आज भी वंचित है। स्वतंत्रता के उपरांत आधी से अधिक सदी के बीत जाने के बाद देश के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देने के मामले में कुछ मायनों में प्रगति भी हुई है परंतु अनुसूचित जाति/जनजाति के संदर्भ में यह प्रगति संविधान या समय-समय पर कानूनों में संशोधन के बावजूद एक विचारणीय बिंदु है। दलितों के शोषण की सामंतवादी प्रवृत्ति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम जैसे कानून बन जाने के बाद कागज़ी रूप से भले ही वे समान हो गए हों परंतु वास्तविक रूप में दलित आज भी समाज का वह हिस्सा हैं जो बस्ती से बाहर अपने घर बनाने के लिए विवश हैं। धार्मिक रूढ़िवादिता आज भी उन्हें देवाल्यों में प्रवेश से वंचित रखती है, बड़ी संख्या में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन सफाई कार्य के लिए विवश किये जाते हैं, कृषि व अन्य कार्यों के लिए बंधुआ मज़दूर की तरह कार्य करते हैं और प्रताड़ित, अपमानित, तिरस्कृत किये जाने के लिए सबसे आसान शिकार हैं। वर्तमान समय में दलितों की क्या स्थिति है इसे विभिन्न राज्यों में दलितों के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों के इस आंकड़े से स्पष्टतः जाना जा सकता है -

वर्ष 2005-2007 में दर्ज घटनाएँ (एन.सी.आर.बी. रिपोर्ट)

राज्य	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			कुल घटनाएँ			
	वर्ष	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
आंध्र प्रदेश		3117	3891	3383	515	793	753	3632	4684	4136
बिहार		1824	7043	2786	82	56	65	1906	7099	2851
छत्तीसगढ़		454	444	511	497	583	615	951	1027	1126
झारखण्ड		277	333	538	483	332	268	760	665	806
कर्नाटक		1780	1730	1844	161	214	205	1941	1944	2049
मध्यप्रदेश		4356	4214	4106	1613	1498	1501	5969	5712	5607
महाराष्ट्र		865	1053	1166	224	267	239	1089	1320	1405
राजस्थान		3795	3910	1474	863	967	1110	4658	4877	2584
उत्तरप्रदेश		4397	4960	6144	6	11	04	4403	4971	6148
तमिलनाडु		126	991	1743	13	24	17	139	1015	1760

इसके अतिरिक्त रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि सारे देश में दलितों के साथ प्रतिदिन 27 अत्याचार, 13 हत्या, 5 गृहदाह, 6 अपहरण, 3 बलात्कार व 11 मारपीट की घटनाएँ होती हैं और प्रत्येक 18 मिनट में दलितों के विरुद्ध एक अपराध होता है। वर्ष 2007 में सारे देश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के क्रमशः 30,031 व 5,532 मामले दर्ज किये गए हैं।

सामाजिक व्यवस्था में दलितों पर किये जाने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निरोधक कानून, 1989 बनाया गया। इस अधिनियम की धारा ३ के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों पर होने वाले अपराधों का वर्णन किया गया है और उनके लिए सजा का विवरण भी दिया गया है, परंतु उक्त आंकड़ों के मद्देनज़र इस कानून के प्रावधानों के अनुरूप क्रियान्वयन की समीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रियान्वयन स्तर पर कानून किस स्थिति में है और वे क्या कारण हैं जिनके चलते दलितों को आज भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है इसकी तह में जाने पर जो तथ्य सामने आते हैं वे इस प्रकार हैं -

एफ.आई.आर. के स्तर पर :

- पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज न करना
- पुलिस प्रशासन पर प्रभावशाली जातियों का प्रभाव/दबाव
- स्थानीय पुलिस दल का असहयोग
- स्थानीय पुलिस थानों पर अभद्रतापूर्ण व अपमानजनक व्यवहार
- राजनैतिक हस्तक्षेप

- पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. में इस अधिनियम की धारा 6 में उल्लेखित भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं व अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम की उचित धाराओं का प्रयोग न करना
- दोषियों के नाम बदल देना
- प्रतिपक्षी द्वारा भी केस दर्ज किये जाने (क्रॉस केस) की स्थिति में पीड़ित पर समझौते के लिए दबाव डालना
- दलित विरोधी मानसिकता व व्यवहार

### अन्वेषण के स्तर पर :

● कानून की धारा 17 के मुताबिक इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की जाँच उप-पुलिस अधीक्षक स्तर के नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। परंतु वास्तविक परिदृश्य में यह जाँच इस स्तर के नीचे के अधिकारियों द्वारा की जाती है क्योंकि निर्धारित स्तर के अधिकारियों की संख्या अपर्याप्त है। अन्वेषण अधिकारियों द्वारा न सिर्फ कानून की धाराओं का उल्लंघन किया जाता है बल्कि सामाजिक व कई बार व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, दबावों के चलते अन्वेषण की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। साथ ही अन्वेषण के समय पीड़ित को धमकाए जाने और किसी न किसी बहाने अन्वेषण में विलंब भी किया जाता है। चार्ज-शीट दाखिल करने में अधिकांश मामलों में विलंब किया जाता है और कई बार तो अधिनियम के विभिन्न अनुच्छेदों के उचित प्रयोग के बिना।

### न्यायिक स्तर पर :

- विशिष्ट न्यायालयों की अपर्याप्तता (राजस्थान के सभी 33 जिलों में विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना नहीं हुई है, जबकि महाराष्ट्र में सभी सत्र न्यायालयों को विशिष्ट न्यायालय निर्दिष्ट कर दिया गया है।)
- 75 प्रतिशत से अधिक मामलों के निर्णय में आरोपी दोषमुक्त कर दिये जाते हैं
- पिछले एक दशक में 70 प्रतिशत से अधिक प्रकरण विचाराधीन हैं
- अधिनियम की धारा 14 के तहत विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना कर दी गई है परंतु उन्हें किसी प्रकरण को सीधे अपने संज्ञान में लेने का अधिकार नहीं है
- भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) व अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम, दोनों में ही ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो विशिष्ट न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान करता हो कि वे प्रकरण को बिना मजिस्ट्रेट की सुपुर्दगी के एक स्वतंत्र व वास्तविक न्यायिक संस्थान के रूप में अपने संज्ञान में ले सकें
- अधिवक्ताओं, न्यायिक पदाधिकारियों व पुलिस में अधिनियम की जानकारी का अभाव
- अधिनियम की धारा 15 के अनुसार विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति किया जाना निर्दिष्ट है परंतु वास्तविकता में अधिकांश क्षेत्रों में विशेष लोक अभियोजक का पद रिक्त है
- न्यायालय स्टाफ द्वारा पीड़ित और गवाहों के वास्तविक बयानों की अवहेलना
- अधिकांश मामलों में आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) के तहत दोषी ठहराया जाना बजाय अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम के।

### अन्य स्तरों पर :

- ग्रामीण स्तर पर दलितों के विरुद्ध किये जाने वाले अत्याचार जैसे कि सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक व आर्थिक शोषण, जाति आधारित भेदभाव आदि इस अधिनियम के अंतर्गत न लिया जाना
- अधिनियम की धारा 21 के अनुरूप राज्य सरकारों द्वारा पीड़ितों के यात्रा व भरण-पोषण के व्यय की व्यवस्था न करना और आर्थिक व सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था न करना
- जानबूझकर प्रकरणों को अनदेखा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किया जाना जबकि अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जानबूझकर अपने कर्तव्यों व अधिनियम का पालन न करने वाले लोकसेवकों की लिए कम से कम छः माह से एक वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

यह स्थितियाँ स्पष्ट करती हैं कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निरोधक कानून, 1989 का क्रियान्वयन वास्तविक रूप में कितना कमजोर है साथ ही सामाजिक मान्यताओं का दबाव व कानून को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए आवश्यक मूलभूत संरचनाओं का अभाव इसके सफल क्रियान्वयन को किस प्रकार बाधित करता है।

# अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 पर राष्ट्रीय परामर्श “चुनें अत्याचार समाप्ति की प्रतिबद्धता”

## नागर समाज की पहल

20-21 मार्च 2009 को नई दिल्ली में पैरवी द्वारा सेंटर फॉर दलित राइट्स, सोसाइटी फॉर ह्यूमन डिग्निटी एण्ड राइट्स (राजस्थान) व दलित दासता विरोधी अभियान (पंजाब) के साथ संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों में कार्यरत दलित संगठनों के प्रतिनिधि, विधिवेत्ता, जन-प्रतिनिधि, सेवानिवृत्त अधिकारी व समाचार जगत के प्रबुद्ध प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस दो दिवसीय परामर्श में विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने अधिनियम की राज्यों में वर्तमान स्थिति व अपने कार्यक्षेत्र में दलित समस्याओं पर प्रकाश डाला। इसके अलावा भारत के विभिन्न हिस्सों से आए दलित पीड़ितों ने भी इस परामर्श में अपने अनुभव साझा किये। सम्मिलित साथियों ने इस अधिनियम के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा की, अपने विचार व्यक्त किये व अधिनियम को सशक्त करने के लिए आवश्यक संशोधनों/संभावनाओं की मांग प्रस्तुत की।

## अधिनियम के संदर्भ में विचार

श्री पी.एस. कृष्णन (पूर्व सचिव, कल्याण मंत्रालय व अधिनियम के लेखक) :

राजनैतिक नेतृत्व दलितों व अधिनियम के संदर्भ में असफल रहा है और अधिनियम के उद्देश्य को इसके चिंताजनक क्रियान्वयन ने परास्त कर दिया है। न्याय में विलंब करना न्याय से वंचित करना है। दलित कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे अधिनियम में ऐसे सुधारों की मांग करें जो अधिनियम के अंतर्गत मामलों पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें। सारे देश में दलितों पर हो रहे अत्याचार को एक चुनावी मुद्दा बनाया जाना चाहिए।

श्री के.बी. सक्सेना (पूर्व सदस्य, योजना आयोग) :

सिर्फ कानून का व्यवस्थापन ही इस स्थिति से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कुछ सामाजिक गतिविधियाँ भी हैं जो इस कानून के दायरे में नहीं आतीं और इस वजह से वे अपराध की श्रेणी में नहीं ली जातीं। अधिकांश राज्यों में अधिनियम का क्रियान्वयन बहुत ही कमजोर स्थिति में है। दलितों को राजनैतिक दलों द्वारा अधिनियम के सही क्रियान्वयन के प्रति वचनबद्धता की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित होना भी आवश्यक है कि जब वे राजनैतिक दल सत्ता में हों तो अपनी वचनबद्धता पर खरे उतरें।

सुश्री सत्या बेहेन (सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग) :

आयोग ने अधिनियम में संशोधन व सही क्रियान्वयन के लिए कुछ मांगें व अनुशंसा प्रस्तुत की है परंतु सरकार उन पर कोई कदम उठाने में असफल रही है। परिणामस्वरूप लाखों दलित कानून के पर्याप्त सहारे के अभाव में आज भी अस्पृश्यता (छुआछूत) और अन्य अत्याचारों का सामना कर रहे हैं।

सुश्री यासमीन अबरार (सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग) :

दलित महिलाएँ दोहरे स्तर पर पीड़ित हैं। वे दलितों के बीच दलित हैं। उन्हें कई तरह के भेदभावों और अत्याचारों का सामना करना पड़ता है और आज भी इस कानून की उपस्थिति के बावजूद उन्हें कोई उचित राहत प्राप्त नहीं है।

श्री सिरिंग सेम्फल (सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) :

जनजाति समुदाय में अधिनियम के लाभ व आयोग तक पहुँच के लिए जानकारी और जागरूकता को पूर्णतः अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप आयोग में बहुत ही कम मामले दर्ज होते हैं।

श्री स्वामी अग्निवेश (पूर्व सांसद व बंधुआ मजदूर मुक्ति संगठन अध्यक्ष) :

वर्षों से प्रचलित जाति आधारित पहचान ने नियति का रूप ले लिया है। यह भाग्यवाद, जाति व मान्यताओं पर आधारित व्यवस्था 80 प्रतिशत से अधिक जनता को उसके सवैधानिक अधिकारों से वंचित रखती है। इस कानून के क्रियान्वयन को भी इस व्यवस्था ने प्रभावित किया है।

श्री संजय पासवान (पूर्व सांसद) :

भारत में दलित से संबंधित मुद्दों की राजनीति अभी भी अपने प्रथम चरण में ही है, जबकि अन्य मुद्दों पर राजनीति अपने विकसित स्वरूप में है। दलित मुद्दों की राजनीति को अपने इस प्रारंभिक चरण अर्थात् याचना के स्वरूप से आगे आकर अधिकारों की लड़ाई के स्वरूप में परिवर्तित होने की आवश्यकता है।

श्री संजय पारीख (वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय) :

सारे देश में इस कानून का क्रियान्वयन आज भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रहा है। यदि केन्द्र व राज्य सरकारें इसके क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाती हैं तो हमें कानून के दायरे में रहते हुए न्यायपालिका में जाने का अधिकार है, जिसका प्रयोग करने की हमें आवश्यकता है।

श्री भरत डोगरा (वरिष्ठ पत्रकार) :

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम की जानकारी का अभाव है, जिसके लिए संयुक्त प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। पंचायत स्तर पर दलित व अन्य समुदायों के ऐसे कार्यकर्ताओं के दल के गठन की आवश्यकता है जो अधिकारों के प्रति सचेत हों व कानून की क्रियान्वयन प्रक्रिया पर निगरानी रखें।

# अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1995 में संशोधन व बेहतर क्रियान्वयन के लिए मांगें

अधिनियम की धारा 21 अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख करती है। इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन की जवाबदेही सरकार में शामिल राजनैतिक दलों की है, जिसकी पूर्ति के लिए निम्नलिखित मांगों पर विभिन्न राजनैतिक दलों की प्रतिबद्धता अवश्यभावी होनी चाहिए।

- अशोक गांगुला बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले के निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा लागू की गई वर्जना, जो कि विशिष्ट न्यायालयों को अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकरण को बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के स्वतंत्र रूप से अपने संज्ञान में लेने से रोकती है, को हटाकर अधिनियम को संशोधित किया जाए
- अधिनियम की धारा 4 में वर्णित जनसेवकों द्वारा जानबूझकर की गई लापरवाही को संज्ञान में लिये जाने योग्य अपराध मान्य किया जाना चाहिए। साथ ही इसमें पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज न करने, उचित धाराओं का प्रयोग न करते हुए अनुचित एफ.आई.आर. दर्ज करने को भी सम्मिलित किया जाए
- केन्द्रीय अधिनियम के क्रियान्वयन में सभी राज्यों में व्याप्त भिन्नता को तत्काल प्रभाव से दूर किया जाना चाहिए व सभी राज्यों में अधिनियम को एकरूप किया जाए
- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के उद्देश्य व वास्तविक अर्थों को केन्द्र में रखते हुए अनिधिनियम की धारा 14 के अनुरूप प्रत्येक जिले में विशिष्ट न्यायालयों की शीघ्र स्थापना की जानी चाहिए जो कि केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध अत्याचार के मामलों को ही अपने संज्ञान में लेवें
- अधिनियम की धारा 15 एवं धारा 17 के अनुरूप अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध अत्याचार के मामलों की पैरवी व अन्वेषण के लिए विशेष लोक-अभियोजक व विशेष अन्वेषण अधिकारी की शीघ्र नियुक्ति की जानी चाहिए, जिन्हें कि किसी अन्य कार्य में संलिप्त न किया जाए
- कानूनी सहायता एक अधिकार है और किन्हीं भी परिस्थितियों में दलितों को इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
- अधिनियम की धारा 21 के अनुसार पीड़ित व उसके परिवार को समुचित आर्थिक व विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें कि पीड़ित के बच्चों का शिक्षा व्यय, रोज़गार को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पीड़ित व उसके परिवार की सुरक्षा का भी समुचित प्रबंध किया जाए
- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 17 के अनुसार कानून के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य व जिला स्तरीय निगरानी व सतर्कता समितियों का गठन कर उन्हें शीघ्र क्रियान्वित किया जाए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम की स्थापना की जानी चाहिए।
- कानून में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली/व्यवस्था को अनिवार्य किया जाना चाहिए जिसमें कि सभी राज्यों में निश्चित समयांतराल पर अधिनियम की कार्यविधि की समीक्षा की जानी चाहिए।
- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 7 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के अंतर्गत मामलों पर एक निश्चित समयावधि में शीघ्रगामी कार्यवाही की जानी चाहिए इसके लिए अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम की अधोसंरचना जैसे कि विशिष्ट न्यायालय, विशिष्ट जन-अधिकारियों की नियुक्ति आदि को सुदृढ़ करने के लिए समुचित प्रावधान किये जाने चाहिए।
- निम्न साक्षरता वाले क्षेत्रों में सघनता के ध्यान दिया जाना चाहिए। दलितों के लिए अनिवार्य निःशुल्क, उच्च गुणवत्ता वाली व व्यावसायिक, रोज़गारपरक शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में भेदभावरहित नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित कर बेहतर आधारभूत संरचना प्रदान की जाए।
- अच्छी आय से संबद्ध पारंपरिक व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ रोज़गार सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजनाएँ प्रारंभ की जानी चाहिए। सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु पर्याप्त कृषि भूमि का वितरण किया जाना चाहिए। दलितों के लिए वितरित भूमि पर प्रभावशाली भू-स्वामियों के कब्जे को हटाकर भूमि दलितों को वापस दिलाई जाए।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग (1998) तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (2000) द्वारा की गई अनुशंसाओं को शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 पर आयोजित राष्ट्रीय परामर्श

## “चुनें अत्याचार समाप्ति की प्रतिबद्धता”

नागर समाज की पहल

में शामिल संस्थाएँ

● आदिवासी अधिकार मंच	मध्यप्रदेश
● अलाइंस फॉर दलित राइट्स	महाराष्ट्र
● अम्बेडकर महासभा	उत्तरप्रदेश
● सिकॉर्डिकॉन	राजस्थान
● सेन्टर फॉर दलित राइट्स	राजस्थान
● सेन्टर फॉर दलित ह्यूमन राइट्स	राजस्थान
● दलित अधिकार मंच	झारखण्ड
● दलित दासता विरोधी आन्दोलन	पंजाब
● दलित कष्ट निवारण समिति	हरयाणा
● डेवलपमेन्ट इनिशियेटिव	उड़ीसा
● इंस्टीट्यूट फॉर दलित राइट्स	केरल
● जनसाहस	मध्यप्रदेश
● लोक विकास संस्थान	बिहार
● मज़दूर किसान समिति	झारखण्ड
● नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ दलित ऑर्गेनाइज़ेशन्स	नई दिल्ली
● निदान	बिहार
● पैरवी	नई दिल्ली
● प्रयास ग्रामीण विकास समिति	उत्तरप्रदेश
● सफाई कर्मचारी आन्दोलन	पंजाब
● सहरिया मुक्ति मोर्चा	मध्यप्रदेश
● सोसाइटी फॉर ह्यूमन डिग्निटी एण्ड राइट्स	राजस्थान
● उत्तरांचल डेवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट	उत्तराखण्ड
● विकल्प	उड़ीसा
● विज्ञथुगल	तमिलनाडु



॥ पैरवी ॥

G-30, First Floor  
Lajpat Nagar-3  
New Delhi-110024  
Ph.: 011-29841266, 65151897  
email: pairvidelhi@rediffmail.com  
pairvidelhi1@gmail.com  
website: www.pairvi.org